

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-943) अलेसे-I/1547

दिनांक:- 22/01/26

आदेश

श्री सुनील कुमार धायल (लिंक नं. 11450), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड-चतुर्थ (उत्तर), जयपुर, जिनकी जन्म तिथि 15.06.1992 है, का दिनांक 20.11.2025 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 20.11.2025 को राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री सुनील कुमार धायल के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

*(संध्या शर्मा)*  
22/1/2026

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन  
सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-943) अलेसे-I/1547

दिनांक:- 22/01/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड-चतुर्थ (उत्तर), जयपुर, को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्वर्गीय श्री सुनील कुमार धायल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
3. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)।
4. श्रीमती ममता कुमारी जाट पत्नि स्व: श्री सुनील कुमार धायल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, वार्ड नं. 14, शेरवातपुर, बुगालिया, जालसू, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्वर्गीय श्री सुनील कुमार धायल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र ~~कोषाधिकारी, नगर खण्ड-चतुर्थ (उत्तर), जयपुर~~ के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
6. संयुक्त निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा।

*(लखपत मीणा)*  
7/1/26

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)